

कार्यालय-अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक:: 03 :जुलाई-2018

--: आदेश:-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अगस्त-2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं	बैठने का स्थान	कार्य आवंटन	कार्य- अवधि
1	पीठ-1, आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	06.08.18 से 10.08.18
2	पीठ-1, इलाहाबाद	पीठ-1 व 2 इलाहाबाद	01.08.18 से 03.08.18
3	पीठ- बरेली	पीठ- बरेली	01.8.18 से 04.08.18
4	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	06.08.18 से 10.08.18
5	पीठ- गोरखपुर	पीठ- गोरखपुर	01.08.18 से 03.08.18
6	पीठ- झांसी	पीठ- झांसी	13.08.18 से 17.08.18
7	पीठ-1, कानपुर	पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर	06.08.18 से 10.08.18
8	पीठ-1, लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	13.08.18 से 17.08.18
9	पीठ-1, मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ	13.08.18 से 17.08.18
10	पीठ- मुरादाबाद	पीठ- मुरादाबाद	13.08.18 से 17.08.18
11	पीठ- मुजफ्फरनगर	पीठ- मुजफ्फरनगर	20.08.18 से 24.08.18
12	पीठ-1, नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	06.08.18 से 10.08.18
13	पीठ- 1, वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	27.08.18 से 30.08.18
14	पीठ- सहारनपुर	पीठ- सहारनपुर	27.08.18 से 30.08.18
15-	पीठ- फैजाबाद	पीठ-फैजाबाद	06.08.18 से 08.08.18
16-	पीठ-अलीगढ़	पीठ-अलीगढ़	23.08.18 से 25.08.18

ह0-03.7.18

(विकार अहमद अन्सारी)

एच0जे0एस0


अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 1299 /2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,


03.7.2018

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।